न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 361/2024

अनवान : –

1. केसर देवी पत्नी सहीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी कुम्हारान तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

– वादी

बनाम्

1. गोपीराम पुत्र गिरधारी जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी कुम्हारान तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर/खुंईया तहसील नोहर।

–असल प्रतिवादीगण

4. धर्माराम पुत्र देवकरण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी कुम्हारान तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
5. सुशीला पत्नी बनवारी जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी कुम्हारान तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53, 188 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 14/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 106/104 की कुल 7.8430 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 व मृतक विद्याधर पुत्र देवकरण के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

विधाधर पुत्र देवकरण का अविवाहित लावल्द देहान्त हो चुका है व उसकी माता मीरा देवी व देवकरण का भी देहान्त हो चुका है इसलिए विधाधर पुत्र देवकरण का एक मात्र वारिस धर्माराम है जो की तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 पर दर्ज है व देवकरण की कृषि भूमि पर काबिज है। रोही मौजा धानसिया ख0न0 775/3 की 7.8430 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि मिन दक्षिण की भूमि वादीया व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 व मीरा पत्नी देवकरण की जरिये बैयनामा दिनांक 22.12.2007 से प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गिरधारी पुत्र पालाराम से खरीदशुदा है जिस पर मुताबिक बैयनामा काबिज काश्त चली आ रही है। उक्त वाद भूमि का नामान्तरण दर्ज करते समय मुश्तरका तौर से दर्ज कर दिया गया वादीया के हक हिस्सा की भूमि में कुआ बना हुआ है वादी जिससे सिंचाई करता है। प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादीया व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 के कब्जा काश्त की भूमि में [illegible] करता है तथा वादीया व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 के कब्जा काश्त की [illegible] में [illegible] को नुकसान पंहूचाना चाहता है। इसलि वादीया के हक हिस्सा व कब्जा काश्त के [illegible] खाता व लगान अलग किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:31:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। केसर देवी पत्नी सहीराम, गोपीराम पुत्र गिरधारी, धर्माराम पुत्र देवकरण व सुशीला पत्नी बनवारी ने राजीनामा/सहमति पत्र इस आशय का पेश किया की हम पक्षकारान का उक्त वाद भूमि बाबत राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा पक्षकारान निम्नानुसार काबिज है–1. केसर देवी पत्नी सहीराम हिस्सा 1/3 कुम्हार (प्रजापति) सा0 ढाणी कुम्हारान तह राजगढ़ खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोरखाना 2. सुशीलादेवी पत्नी बनवारी हिस्सा 1/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 ढाणी कुम्हारान तह राजगढ़ खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोरखाना 3. धर्माराम पुत्र देवकरण हिस्सा 1/6 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 ढाणी कुम्हारान तह राजगढ़ 4. विद्याधर पुत्र देवकरण हि0 1/6 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 ढाणी कुम्हारान तह राजगढ़ खातेदार– ग्राम धानसिया का ख0न0 775/3/1 की 2.0981 हैक्ट, ख0न0 775/3/2 की 1.7604 हैक्ट कुल 3.8585 हैक्ट बारानी प्रथम

गोपीराम पुत्र गिरधारी जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 ढाणी कुम्हारान तह0 राजगढ़ हाल ढाणी भाम्भुआन खातेदार राहिन स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोरखाना– ग्राम धानसिया का ख0न0 775/33/3 की 3.9215 हैक्ट कुल 3.9215 हैक्ट बारानी प्रथम, गैरमु0 रास्ता ग्राम धानसिया के ख0न0 775/3/4 की 0.063 हैक्ट कुल 0.063 हैक्ट इसी अनुसार वाद वादीया डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है वादी व प्रतिवादीगण का उक्त वाद भूमि बाबत राजीनामा हो चुका है। मुताबिक राजीनामा पक्षकारान के नाम वाद भूमि दर्ज की जावें। वादीया व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 106/104 की कुल 7.8430 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 व मृतक विद्याधर पुत्र देवकरण के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि विधाधर पुत्र देवकरण का अविवाहित लावल्द देहान्त हो चुका है व उसकी माता मीरा देवी व देवकरण का भी देहान्त हो चुका है इसलिए विधाधर पुत्र देवकरण का एक मात्र वारिस धर्माराम है तथा उक्त वाद भूमि बाबत हम पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा ही हम मौके पर भूमि पर काबिज है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:31:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किया गया है एवं वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि मुताबिक राजीनामा वाद वादीया डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाकर निम्नानुसार खाता व लगान अलग किया जाता है–

1. केसर देवी पत्नी सहीराम हिस्सा 1/3 कुम्हार (प्रजापति) सा0 ढाणी कुम्हारान तह राजगढ़ खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोरखाना, शीलादेवी पत्नी बनवारी हिस्सा 1/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 ढाणी कुम्हारान तह राजगढ़ खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोरखाना, धर्माराम पुत्र देवकरण हिस्सा 1/6 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 ढाणी कुम्हारान तह राजगढ़,. विद्याधर पुत्र देवकरण हि0 1/6 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 ढाणी कुम्हारान तह राजगढ़ खातेदार– **ग्राम धानसिया का ख0न0 775/3/1 की 2.0981 हैक्ट, ख0न0 775/3/2 की 1.7604 हैक्ट कुल 3.8585 हैक्ट बारानी प्रथम**
2. गोपीराम पुत्र गिरधारी जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 ढाणी कुम्हारान तह0 राजगढ़ हाल ढाणी भाम्भुआन खातेदार राहिन स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोरखाना– **ग्राम धानसिया का ख0न0 775/3/3 की 3.9215 हैक्ट कुल 3.9215 हैक्ट बारानी प्रथम, गैरमु0 रास्ता ग्राम धानसिया के ख0न0 775/3/4 की 0.063 हैक्ट कुल 0.063 हैक्ट** यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीय नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:31:49 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 361/2024

अनवान : –

1. केसर देवी पत्नी सहीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी कुम्हारान तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

– **वादी**

बनाम्

1. गोपीराम पुत्र गिरधारी जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी कुम्हारान तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर/खुंईया तहसील नोहर।

–असल प्रतिवादीगण

4. धर्माराम पुत्र देवकरण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी कुम्हारान तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
5. सुशीला पत्नी बनवारी जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी कुम्हारान तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 361 सन 2024 निर्णय दिनांक –14/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाकर निम्नानुसार खाता व लगान अलग किया जाता है–

1. केसर देवी पत्नी सहीराम हिस्सा 1/3 कुम्हार (प्रजापति) सा0 ढाणी कुम्हारान तह राजगढ़ खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोरखाना, सुशीलादेवी पत्नी बनवारी हिस्सा 1/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 ढाणी कुम्हारान तह राजगढ़ खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोरखाना, धर्माराम पुत्र देवकरण हिस्सा 1/6 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 ढाणी कुम्हारान तह राजगढ़, विद्याधर पुत्र देवकरण हि0 1/6 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 ढाणी कुम्हारान तह राजगढ़ खातेदार– **ग्राम धानसिया का ख0न0 775/3/1 की 2.0981 हैक्ट, ख0न0 775/3/2 की 1.7604 हैक्ट कुल 3.8585 हैक्ट बारानी प्रथम**
2. गोपीराम पुत्र गिरधारी जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 ढाणी कुम्हारान तह0 राजगढ़ हाल ढाणी भाम्भुआन खातेदार राहिन स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोरखाना– **ग्राम धानसिया का ख0न0 775/3/3 की 3.9215 हैक्ट कुल 3.9215 हैक्ट बारानी प्रथम**, **गैरमु0 रास्ता ग्राम धानसिया के ख0न0 775/3/4 की 0.063 हैक्ट कुल 0.063 हैक्ट** यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीय नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:31:49 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर